7	वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड नही किया गया है।	वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।
8	गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रस्तावित मार्ग सही रूप से चिन्हित नहीं किया गया है तथा गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति पर प्रभागीय वनाधिकारी के मूल हस्ताक्षर भी नही है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षरित कर चिन्हित गजट नोटिफिकेशन संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	चिन्हित गजट नोटिफिकेशन की मूल हस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड कर दी गयी है।
9	मलवा उत्सर्जन का प्रमाण–पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मलवा उत्सर्जन का प्रमाण–पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	मलवा उत्सर्जन का प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।
10	ऑनलाइन भाग–II के Additional Information Details मे कोई भी प्रमाण–पत्र अपलोड नहीं है। अतः सभी आवश्यक प्रमाण–पत्र अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग–II के Additional Information Details मे सभी आवश्यक प्रमाण–पत्र अपलोड कर दिये गये है।
11	ऑनलाइन भाग–2 के District Profile के कमांक–7– Forest Land including penal C.A. (in ha.) में विवरण गलत फीड किया गया है। अतः सही विवरण फीड करें।	ऑनलाइन भाग–2 के District Profile के कमांक–7– Forest Land including penal C.A. (in ha.) में सही विवरण फीड कर दिया गया है।
12	मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति का भाग–3 ऑनलाइन अपलोड नहीं है।	आपके स्तर से आपेक्षित है।
13	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक– 13(i) में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0 फाइल के स्थान पर प्रस्तावित वनभूमि की kml file अपलोड की गई है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड किये गये पूर्व के प्रस्तावित वनभूमि की kml file को डिलिट कर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की kml file अपलोड करें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0 फाइल अपलोड कर दी गयी है।
14	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–13 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि, Geo Reference Digital Map, Sol Toposheet आदि विवरण अपलोड नहीं किये गये है।	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–13 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि, Geo Reference Digital Map, Sol Toposheet आदि विवरण अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दिनेश सिंह),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

पत्रांक :2341/ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, चन्दौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड (प्र0प0) लो0नि0वि0,, चन्दौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दिनेश सिंह),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 2341 /37 वनभूमिहस्तान्तरण) रामनगर, दिनांक, दिसम्बर 28 ,2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव, परिक्षेत्र क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

विषयः— जनपद चन्दौली के अन्तर्गत नौगढ़ धनकुवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग किमी0 0.03 से 22.800 किमी0 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 19.62 हे0 आरक्षित वन भूमि, के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— 1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 2239/11—सी—FP/UP/Road/35291/2018, लखनऊ, दिनांक मई 28, 2019
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड (प्र0प0) लो0नि0वि0, चन्दौली का पत्रांक 488/1C/2020 दिनांक 24.12.2020

महोदय,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों/कमियों का निम्नानुसार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव चार प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	मानक शर्तों के मान्य होने का प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या—42 पर संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र इस परियोजना पर लागू नहीं होता है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करते हुये प्रभावित आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु समतुल्य गैर वनभूमि वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता/विवरण, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो एवं खतौनी आदि संलग्न करें।	उक्तानुसार प्रभावित आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु समतुल्य गैर वनभूमि वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने का संशोधित प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में संलग्न दुगने अनवत वनभूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव से पृथक करते हुये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न कर धनराशि एवं अन्य विवरण ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड करें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न कर धनराशि एवं अन्य विवरण ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगने अवनत वनभूमि के Geo Reference Digital Map, उसकी के0एम0एल0 फाइल Sol टोपोशीट एवं उपयुक्तता प्रमाण—पत्र को प्रस्ताव से पृथक करते हुये इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि का Geo Reference Digital Map, उसकी के0एम0एल0 फाइल Sol टोपोशीट एवं उपयुक्तता प्रमाण—पत्र को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए यथास्थान पर ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड करे तथा के0एम0एल0 फाइल की सीडी संलग्न करें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि का Geo Reference Digital Map, उसकी के0एम0एल0 फाइल Sol टोपोशीट एवं उपयुक्तता प्रमाण—पत्र को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए यथास्थान पर ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड कर दिया गया है तथा के0एम0एल0 फाइल की सीडी संलग्न है।
5	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता प्रमाण पत्र को संलग्न कर ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन सम्बन्धित प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता प्रमाण पत्र को संलग्न कर ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव वनभूमि की एन0पी0वी0 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि में बढ़ोत्तरी के उपरान्त बढ़ी धनराशि के जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता प्रमाण पत्र को संलग्न कर ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड करें।	प्रस्ताव वनभूमि की एन0पी0वी0 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि में बढ़ोत्तरी के उपरान्त बढ़ी धनराशि के जमा किये जाने सम्बन्धित प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता प्रमाण पत्र को संलग्न कर ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड कर दिया गया है।